न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र0 क0 निगरानी —एक/17 R-686-I-17

1— भीकम सिंह

2— राम स्वरूप पुत्रगंण स्व0 ज्वाली उर्फ ज्वाला प्रसाद जाति लोधे राजपूत निवासी ग्राम कीरतपुरा तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

—आवेदकगंण

विरूद्ध

1— पप्पू उर्फ प्रताप पुत्र स्व0 मोतीराम निवासी ग्राम कीरतपुरा तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

2— रूप किशोर पुत्र स्व0 लज्जाराम

3— देवी पुत्र सुखराम निवासीगंण ग्राम ऐंती (पढ़ावली) तहसील व जिला मुरैना म0प्र0

—अनावेदकगंण

श्री राजश्री वशिष्ठ शर्मा, अभि0 द्वारा आज दि. 20.2.17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 20.2.17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

R.V. 20/2/17

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 04.02.2017 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी गोहद जिला भिण्ड का प्र0क0 30/16—17/अपील से परिवेदित होकर प्रस्तुत की जा रही है ।

श्रीमान महोदय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी अंदर अवधि निम्न प्रकार पेश है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 686–एक/2017 **जिला भिण्ड**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9.3.2017	आवेदकगण अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी गोहद जिला भिण्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–2–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त आदेश से आवेदक की ओर से संहिता की धारा 52 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र को निरस्त किया गया है। किसी भी प्रकरण में स्थगन देने अथवा नहीं देने का पीठासीन अधिकारी का स्वतंत्र क्षेत्र है और वह प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये स्थगन के संबंध में निर्णय लेते हैं, इसलिये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है । अतः यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	